न्यायालय अतिरिक्त ज़िला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री लकमाराम पुत्र सदाजी, जाति-रेबारी, निवासी- रानेला (सनपुर), तह. व जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 17/2019

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री कैलाश माली, अपीलार्थी की ओर से
2. श्री लक्ष्मण राज सुरेशा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोडी

-: निर्णय :- दिनांक 06 मार्च, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील सहायक वन संरक्षक, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 57/2016 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 23.7.2019 बाबत वनखण्ड अटालखेडा रानेला के खसरा संख्या 1764 रकबा 3.3 हेक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी लखमाराम का अनाधिकृत कब्जा मानते हुए अपीलार्थी को उक्त भूमि के मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी के अधिवक्ता एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोडी द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की दिनांक 03.3.2020 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों में की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोडी द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को सही ढंग से विवेचित नही कर वन विभाग की भूमि पर अपीलार्थी का कोई अतिचार नही होने के बावजूद भी अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, जो कानूनन गलत है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा शांतिपूर्वक गत कई वर्षो से चला आ रहा है, जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी को भी है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी द्वारा अडौस-पडौस के व्यक्तियों के जो अडौस-पडौस में मौके पर काबिज है उनके बयान लिये बिना ही व संबंधित हल्का पटवारी के बयान लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी केवल प्रत्यर्थी की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

.....पेज दो पर

इसके अलावा, अधीनस्थ न्यायालय ने भी अडौस-पडौस में मौके पर काबिज व्यक्तियों के, हल्का पटवारी के, वन विभाग के सर्वेयर व क्षेत्रीय वन अधिकारी के बयान कलमबद्ध किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह कि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 व नियम 2008 के तहत वन भूमि पर काबिज अन्य परम्परागत वन निवासियों के प्रकरणों में 75 वर्ष से पूर्व का कब्जा होने के सबूत में एवं भाटों के चौपडों में व वहां के बुजुर्ग व्यक्तियों के शपथ पत्रों के आधार पर 4 हेक्टेयर तक वन भूमि वनाधिकारी समिति ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित करने के उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के अनुमोदन उपरान्त 4 हेक्टेयर से जो भी कम भूमि हो का संबंधित व्यक्ति के पक्ष हक पत्र दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अपीलार्थी भी उक्त अधिनियम व नियम के तहत काबिज वन भूमि का अपने पक्ष में हक पत्र जारी करने का अधिकारी है। अपीलार्थी अपने स्तर पर वनाधिकार के हक पत्र हेतु पत्रावली संबंधित कार्यालय में जमा करवाने हेतु प्रयासरत था, लेकिन अपीलार्थी को समुचित समय व जवाब नही दिया गया एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोडी ने अधीनस्थ न्यायालय में पत्र क्रमांक 706 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत वन खण्ड अटालखेडा रानेला के खसरा संख्या 1764 रकबा 3.3 हेक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा व भवन निर्माण होना बताते हुए गलत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी मौके की जांच किये बिना ही व स्वतंत्र साक्ष्यों के बयान कलमबद्ध किये बिना ही क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोडी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया है जिसके कारण अपीलार्थी अपने साक्ष्य-सबूत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नही कर पाया है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.7.2019 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोडी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि अपीलार्थी द्वारा वन खण्ड अटालखेडा रानेला के खसरा संख्या 1764 रकबा 3.3 हेक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा व भवन निर्माण करने पर बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किय जाकर नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि वन भूमि है, जिस पर अपीलार्थी ने अनाधिकृत कब्जा व निर्माण किया है। अपीलार्थी का मौके पर पुराना कब्जा नही रहा है। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह

....पेज तीन पर

पाया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोडी के पत्र क्रमांक 706 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा अपीलार्थी लकमाराम पुत्र सदाजी रेबारी के विरुद्ध वनखण्ड अटाल खेडा रानेला के खसरा संख्या 1764 रकबा 3.3 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व भवन निर्माण करने बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही में अपीलार्थी उपस्थित हुआ एवं लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया है, लेकिन अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में बचाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की। अपीलार्थी ने इस न्यायालय में भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के तहत उक्त वन भूमि के संबंध में अपीलार्थी के पक्ष में हक पत्र जारी किया गया हो। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत यदि अपीलार्थी उक्त वन भूमि का हक पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो अपीलार्थी को इस हेतु सक्षम स्तर पर चाराजोहि करनी चाहिये।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बद जांच निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज किये योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.20 10:52:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: